भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †4030

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन

†4030 डॉ. बायरेड्डी शबरी:

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, विशेष रूप से नांदयाल और विजियानगरम में महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले चिह्नित गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चिह्नित गांवों में से कितने गांवों में पीएमएएजीवाई के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए ग्राम विकास योजनाएओं (वीडीपी) अंतिम रूप दिया गया हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश, विशेष रूप नांदयाल और विजियानगरम में पीएमएएजीवाई के अंतर्गत चयनित प्रत्येक गांव में वर्तमान में संचालित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, साथ ही परियोजनाओं की प्रकृति और दायरा क्या है तथा इन परियोजनाओं के अपेक्षित परिणाम क्या रहे;

(घ) पीएमएएजीवाई के अंतर्गत उक्त परियोजनाओं के लिए परियोजनावार और तिथिवार कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ङ) क्या इन गांवों में परियोजनाओं की प्रगति और प्रभावशीलता पर नज़र रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चयनित गांवों में पीएमएएजीवाई के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गा दास उइके)

(क) से (घ): सरकार द्वारा अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए चयनित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले पात्र गांवों का एकीकृत विकास करने के लिए 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' का शुभारंभ किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत प्रति गांव 20.38 लाख रुपये (36,428

गांवों के लिए 7276 करोड़ रुपये) की राशि निर्धारित की गई थी और राज्यों को क्षेत्रीय केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के पास उपलब्ध केंद्रीय एसटीसी (अनुसूचित जनजाति घटक) और राज्य टीएसपी (जनजातीय उप-योजना) निधियों के अभिसरण के साथ ग्राम विकास योजना बनाने की आवश्यकता थी। वीडीपी का उद्देश्य प्रत्येक चयनित गांव में अंत्योदय मिशन के माध्यम से पहचानी गई बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क संपर्क, दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल और बिजली के संबंध में अंतरों को दूर करना है। आज की तारीख तक 17,656 वीडीपी को मंजूरी दी गई है और अब तक कुल 2357.50 करोड़ रुपये राशि की निधियां जारी की गई हैं।

पीएमएएजीवाई योजना के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य से 517 गांवों की पहचान की गई है। जिले-वार विवरण **अनुलग्नक** में हैं। हालांकि, चूंकि आंध्र प्रदेश ने प्रस्तावित गांवों के लिए वीडीपी प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए योजना के तहत राज्य को निधियां जारी नहीं की जा सकीं। इसके अलावा, राज्य के पास एसएनए खाते में 110 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध है और 119.47 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) लंबित है। इस प्रकार, उपरोक्त निधियों के उपयोग और यूसी प्रस्तुत करने के बाद ही राज्य सरकार को निधियां जारी करना संभव होगा।

पीएम जनमन की सफलता से प्राप्त जानकारी के आधार पर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) शुरू किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 878 गांवों सहित पीएमएएजीवाई के तहत कवर किए गए गांवों सहित 63000 से अधिक गांव शामिल होंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले की संख्या	ब्लॉक की संख्या	गांवों की संख्या	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	% अनुसूचित जनजाति
1	आंध्र प्रदेश	18	107	**878**	1113652	655450	58.86

राज्य सरकार को इन गांवों को डीए-जेजीयूए के तहत कवर करने की सलाह दी गई है, जो कि संबंधित (लाइन) मंत्रालयों और राज्य विभागों के प्रमुख उपायों के लिए निधियों और संतृप्ति के समर्पित अभिसरण के साथ पीएमएएजीवाई का अधिक संरचित संस्करण है। इसमें संबंधित (लाइन) मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से बहु-क्षेत्रीय उपायों के लिए समर्पित निधियां प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। पीएमएएजीवाई में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ, पीएमएएजीवाई के तहत अंतरों को दूर करने के लिए जो उपाय नहीं किए जा सके वे डीए-जेजीयूए के तहत निष्पादित किये जाने संभव हैं।

(ङ) से (च): व्यय विभाग ने पीएफएमएस के तहत एसएनए प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है और राज्य सरकार को तभी निधियां जारी की जा सकती हैं, जब वीडीपी के लिए निर्धारित निधियां का 25% खर्च हो जाए। अनुमोदित परियोजना के संतोषजनक निष्पादन पर मंत्रालय द्वारा आगे की किश्तें जारी की जाती हैं। मंत्रालय नियमित रूप से वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करता है। आंध्र के गांवों के संबंध में, चूंकि कोई ग्राम विकास योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिए कोई निधियां जारी नहीं की जा सकी और पूरा होने का सवाल ही नहीं उठता।

अनुलग्नक

पीएमएएजीवाई के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए चिन्हित गांव (जिला-वार)

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल गांव
1.	अनंतपुर	4
2.	चित्तूर	1
3.	पूर्वी गोदावरी	69
4.	गुंटूर	6
5.	कृष्णा	7
6.	कुरनूल	2
7.	प्रकाशम	6
8.	श्रीकाकुलम	66
9.	विशाखापत्तनम	225
10.	विजयनगरम	104
11.	पश्चिम गोदावरी	26
12.	वाई.एस.आर.	1
कुल गांव		**517**

*****